सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय,

देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रस्तुतकर्ता :– रामनाथ पिता चुन्नीनाथ जाति कालबेलिया निवासी कलालो की आती तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–––प्रार्थी

रामनाथ **बनाम** मांगुनाथ

प्रकरण सं. 59 / 16 रे0वाद
वाद अर्न्तगत धारा 88 आरटीएक्ट

<u>प्रार्थना पत्र वाद पत्र को विड्रो करने बाबत्।</u>

तारीख पेशी
9-8-18

महोदय जी,

उपरोक्त प्रकरण में निवेदन हैं कि मुझ वादी व प्रतिवादी के मध्य समाज के मौतबीर व्यक्तियो की समझाईस से आपसी राजीनामा हो गया है। अब इसप्रकरण में मै वादी कोई अग्रिम कार्यवाही नही चाहता हूं। और भविष्य में भी इस प्रकरण की भूमि के सम्बन्ध में कोई उजर ऐतराज पेश नही करूंगा और किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का इस भूमि से सम्बन्धीत कोई मुकदमा दर्ज नही करवाऊंगा। मेरे द्वारा वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में अन्तिम कार्यवाही हैं अब मैं इस प्रकरण में कोई अग्रिम कार्यवाही नही चाहता हूं। मिसल दाखिल फरमाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि मुझ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को विड्रो फरमाया जावें।

रामनाथ

दिनांक :– 27.07.2018 हस्ताक्ष प्रार्थी